



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277213
CG-DL-E-16102026-277213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5455]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 5455]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक विभाग)
(वित्तीय बाज़ार प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5672(अ).— अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 की संख्या 50) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 24 जुलाई, 2020 की अधिसूचना संख्या का. आ. सं. 2435 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, मौजूदा प्रविष्टि हेतु क्रम संख्या 2 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“डॉ. आलोक तिवारी,

संयुक्त सचिव,

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

भारत सरकार.....सदस्य”

[फा. सं. 4/1/2020- आरई-भाग (1)]

अमित सिंगला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(FINANCIAL MARKETS DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2026

S.O. 5672(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 5 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (No. 50 of 2019), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, number S.O. 2435 (E) dated 24th July, 2020, namely: -

In the said Principal Notification, against serial number 2, for the existing entry, the following shall be substituted, namely: -

“Dr. Alok Tiwari,
Joint Secretary,
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
Government of India Member”

[F. No. 4/1/2020-RE-Part (1)]

AMIT SINGLA, Jt. Secy.